

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0-33/11KV लाईन जीर्णोद्धार-28/2017

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अंतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनः तत्काल 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-3491 दिनांक-20.11.2017 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अंतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिये 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रुपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-3491 दिनांक-20.11.2017 द्वारा 100.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-884 दिनांक-19.03.2018 द्वारा 60.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-1376 दिनांक-18.05.2018 द्वारा 215.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-2717 दिनांक-11.10.2018 द्वारा 500.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-1163 दिनांक-17.05.2019 द्वारा 100.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-2085 दिनांक-05.08.2019 द्वारा 125.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या-2335 दिनांक-02.09.2019 द्वारा 100.00 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या-2600 दिनांक-09.10.2019 द्वारा 150.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 1350.00 करोड़ (एक हजार तीन सौ पचास करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन मिशन मोड में किया जा रहा है, जिसके लिए पूर्व में उपलब्ध कराये गये 1350.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा अवशेष राशि की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनः तत्काल 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि में से 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रुपये मांग सं0-10, बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900107 से एवं 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रुपये मांग सं0-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0103 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890103 विषय शीर्ष-54.01-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0048-नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200048 में जमा की जाएगी।
5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या-PLA276/CFMS खाता संख्या-PTSPLA018 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०-33/11KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 के पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०-33/11KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 पृष्ठ संख्या-93/टि० पर दिनांक-05.02.2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-33/11KV लाईन जीर्णोधार-28/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-33/11KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 393

/पटना, दिनांक-14/02/2020

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

8